

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1826]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2011/आश्विन 4, 1933

No.1826]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2011/ASVINA 4, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2011

का.आ. 2213(अ).—केन्द्र सरकार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में उनके नामों के सामन दशाई गई औषधियों की श्रेणियों के संबंध में सम्पूर्ण भारत के लिए सरकारी विश्लेषकों के रूप में नियुक्त करती है :—

	नाम और पदनाम	औषधियों की श्रेणी
1.	डा. सी. सोखी, वैज्ञानिक ग्रेड-ा, राष्ट्रीय जैविक संस्थान,	एच आई वी, एच सी वी, एच बी एस एजी के लिए
	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	नैदानिक किट
2	डा. जे.पी. प्रसाद, वैज्ञानिक ग्रेड-II, राष्ट्रीय जैविक संस्थान,	रक्त समूहीकरण अधिकर्मक
	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	Φ.

[फा. सं. एक्स-11014/03/2011-डी एफ क्यू सी]

अरूण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2011

S.O. 2213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints following persons at National Institute of Biologicals, Noida (U.P.) to be Government Analysts for the whole of India in respect of the classes of drugs indicated against their names:—

	Name and Designation	Class of Drugs
1.	Dr. C. Sokhey, Scientist Grade-I, National Institute of Biologicals, Noida (U.P.)	Diagnostic Kits for HIV, HCV, HBSAg.
2.	Dr. J.P. Prasad, Scientist Grade-II, National Institute of Biologicals, Noida (U.P.)	Blood Grouping Reagents
		IF No. X-11014/03/2011- DEOC

[F. No. X-11014/03/2011- DFQC] ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

3587 GI/2011